उत्तर प्रदेश शासन

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2

संख्या-9/2022/ वे0आ0-2-360/दस-2022-ई 1600341

लखनऊः दिनांक : 20 जुलाई, 2022

<u>कार्यालय ज्ञाप</u>

पद सृजन एवं पुनर्गठन के प्रकरणों पर विचार हेतु वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-1/2022-वे0आ0-2-56/दस-2022/ई0प0सं0-1600341 दिनांक 10 फरवरी, 2022 द्वारा गठित अन्तर्विभागीय परामर्श समिति से निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति न होने के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया है कि उक्त शासनादेश के प्रस्तर-2 के उप प्रस्तर-(क), (ख) एवं (ग) की व्यवस्था को तात्कालिक प्रभाव से समाप्त किया जाता है तथा उसके अधीन गठित समिति को भंग किया जाता है। तथापि यह व्यवस्था बनी रहेगी कि मा० न्यायालयों में योजित संवर्ग/सेवा संबंधी वादों में प्रतिशपथ-पत्र दाखिल किये जाने की कार्यवाही वित्त, न्याय एवं कार्मिक विभाग के परामर्श के उपरांत ही की जायेगी क्योंकि इसके बिना राज्य सरकार का सही पक्ष प्रस्तुत नहीं हो पाता है। इसी प्रकार उक्तवत परामर्श के उपरांत प्रशासकीय विभाग के अनुमोदन के बिना निचले स्तर से कोई भी प्रतिशपथ-पत्र सीधे नहीं दाखिल किया जायेगा।

2- उपर्युक्त के क्रम में यह भी निर्णय लिया गया है कि वित्त विभाग में किसी प्रशासकीय विभाग से संदर्भित पद सृजन/संवर्ग पुनर्गठन के प्रकरणों पर यथापेक्षित कार्मिक विभाग एवं न्याय विभाग के परामर्श के उपरांत निम्नवत प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए निर्णय लिया जायेगा :-

(1) संबंधित वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग में प्रशासकीय विभाग द्वारा इस प्रकार के प्रकरण संदर्भित होने पर पहले वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग द्वारा वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग से पद सृजन/संवर्ग पुनर्गठन के प्रस्तावों के बारे में उपलब्ध नीतिगत निर्णयों की सूचना पत्रावली पर प्राप्त की जायेगी।

(2) तत्पश्चात वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग के प्रस्तुतीकरण पर पद सृजन एवं पुनर्गठन के प्रकरणों में निम्नवत गठित समिति द्वारा विचार कर अपनी संस्तुति प्रदान की जायेगी :-

(क) श्री संजय कुमार, सचिव, वित्त — अध्यक्ष

(ख) श्री सरयू प्रसाद मिश्र, विशेष सचिव, वित्त — सदस्य

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(ग) संबंधित वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग के विशेष सचिव सदस्य

(3) समिति की संस्तुति प्राप्त होने पर सम्बन्धित वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग द्वारा इस पर अपर मुख्य सचिव, वित्त का अनुमोदन/आदेश प्राप्त कर पत्रावली प्रशासकीय विभाग को वापस की जायेगी।

(4) पद सृजन एवं पुनर्गठन का प्रकरण प्रशासकीय विभाग द्वारा जिस वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग को परामर्शार्थ संदर्भित किया जायेगा उस अनुभाग द्वारा उपर्युक्तानुसार सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करायी जायेगी।

3- उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 10.02.2022 को उक्त सीमा तक संशोधित किया जाता है तथा इसके शेष प्राविधान यथावत लागू रहेंगे।

भवदीय,
प्रशान्त त्रिवेदी,
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-9/2022/ वे0आ0-2-360 (1)/दस-2022, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।

2- निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, वित्त, उ०प्र० शासन को अपर मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।

3- अपर मुख्य सचिव, कार्मिक विभाग, उ०प्र० शासन।

4- प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उ०प्र० शासन।

5- निजी सचिव, सचिव, वित्त, उ0प्र0 शासन को सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।

6- समस्त वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभागों के विशेष सचिव।

आज्ञा से,
सरयू प्रसाद मिश्र,
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।